उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
भवाली, जिला–नैनीताल पिन : 263132

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

की

धारा 4 (1)(ख)

के

अन्तर्गत तैयार मैनुअल्स का विवरण :

धारा 4 (1)(ख)(i) **(मैनुअल संख्या–1)**

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

संगठन – उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का गठन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 'ऑल इंडिया जजेज् एशोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (ए.आई.आर.1992 एस.सी.165) में दिये गये आदेश के क्रम में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति पर उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या1–एक(10)/छत्तीस(I)/ न्या. अनु./2004 देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 द्वारा किया गया है।

कृत्य – अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण। विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य।

कर्तव्य – प्रशिक्षण कार्य।

****

उत्तरांचल शासन

न्याय अनुभाग

संख्याः 1–एक(10)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2004

देहरादूनः दिनांकः 26 अक्टूबर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुतियों के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल न्यायिक अधिकारियों, विधि अधिकारियों, शासकीय अधिवक्ताओं तथा लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण एवं न्याय प्रशासन और विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य हेतु एक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का नैनीताल में न्याय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त संस्थान के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में राज्यपाल महोदय निम्नलिखित 05 अस्थायी संवर्गीय पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा इन आदेशों के जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो से 6 (छः) माह अथवा 28.02.2005 जो भी पूर्व में हो, तक यदि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के इसके पहले ही समाप्त न कर दिए जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान(रूपया में)
1	निदेशक	1	18750–22850

2	अपर निदेशक	2	16700–450–20500
3	संयुक्त निदेशक	1	12850–17550
4	संयुक्त निदेशक (लेखा)	1	वित्त सेवा का संवर्गीय वेतनमान
	कुल पदों की संख्या	5	

3. उक्त पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों को समय–समय पर अनुमन्य महंगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

5. शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पदों पर जनपद स्तर पर इसी वेतनमान/संवर्ग में तैनात अधिकारियों की ही नियुक्ति की जायेगी, जो उक्त संस्थान के साथ–साथ जनपदीय कार्यो का भी निष्पादन करेंगे।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1621/वित्त अनुभाग–3/2004, दिनांक 20–10–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(यू0सी0ध्यानी)
सचिव

****

संख्याः 1–एक(10)/छत्तीस(1)/2005–563/01

प्रेषक,

यू0सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्षी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभागः देहरादूनः दिनांक 31 अक्टूबर, 2005

विषयः– उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–752/UHC/UJALA/2005, दिनांक 9.2.2005 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित कुल 45 अस्थायी संवर्गीय पदों को उसके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा शासनादेश निर्गत किये जाने या नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो से 6 (छः) माह अथवा दिनांक 28.2.2006, जो भी पूर्व में हो तक, यदि ये बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के साथ ही साथ प्रश्नगत पदों के लिए वित्तीय वर्ष 2005–06 की प्रथम अनुपूरक मांग से विधायी अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विभिन्न मदों हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार रूपये 29,000/ (रूपये उनतीस हजार मात्र) की प्रतीक धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आबंटन की भी महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

01–वेतन	1
02–मजदूरी	1
03–महंगाई भत्ता	1
04–यात्रा व्यय	1
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1
06–अन्य भत्ते	1
07–मानदेय	1
08–कार्यालय व्यय	1
09–विद्युत देय	1
10–जलकर/जल प्रभार	1
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1
13–टेलीफोन पर व्यय	1

14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	1
18–प्रकाशन	1
22–अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1
25–लघु निर्माण कार्य	1
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1
29–अनुरक्षण	1
41–भोजन व्यय	1
42–अन्य व्यय	1
44–प्रशिक्षण व्यय	1
45–अवकाश यात्रा व्यय	1
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1
48–महंगाई वेतन	1
कुल योग–	29

3. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

4. कार्मिक विभाग के प्रचलित शासनादेषों के तहत सहायक निदेशक के पदों को छोडकर शेष पूर्णकालिक पदों पर भर्ती यथासम्भव प्रदेश के फालतू/छंटनीशुदा कर्मचारियों से ही की जाएगी।

5. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2014–न्याय प्रषासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–09–उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी–00'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अषासकीय संख्या 19/ वित्त अनु.–5/2005, दिनांक 26.10.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
(यू0सी0 ध्यानी)
सचिव ।

संख्याः– 1–एक (10)/छत्तीस(1)/2005–563/01–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

3. अपर निदेशक, उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अनुभाग–5/नियुक्ति अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. एन.आई.सी./गार्ड फाईल

आज्ञा से
(आर0डी0 पालीवाल)
अपर सचिव

शासनादेष संख्याः 1–एक(10)/छत्तीस(1)/2005–563/01
दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 का संलग्नक

उत्तरांचल न्यायिक एवं विधक अकादमी, भवाली, नैनीताल के अतिरिक्त पदों का सृजन

(1) राजपत्रित पदः

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	सहायक निदेशक	1	9000–14500
2	सहायक निदेशक (लेखा संवर्ग)	1	8000–13500
3	प्रशिक्षण अधिकारी (निःसंवर्गीय)	1	6500–10500
	कुल योग	**3**	

(2) अराजपत्रित पदः

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	वैयक्तिक सहायक	1	5500–9000
2	आशुलिपिक	1	4500–7000
3	आशुलिपिक	3	4000–6000
4	कार्यालय अधीक्षक	1	5000–8000
5	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	2	4500–7000
6	केयर टेकर	1	4000–6000
7	वरिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	2	4000–6000
8	कनिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	2	3050–4590
9	स्टोर कीपर	1	3200–4900
10	लेखाकार	1	5000–8000
11	सहायक लेखाकार	1	4000–6000
12	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	6500–10500
13	केटालागर/ईशु लिपिक	1	3050–4590
14	रिसर्च आफिसर	1	5500–9000
15	कीड़ा सहायक	1	4500–7000
	कुल योग	**20**	

(3) अन्य स्टॉफ

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान

1	वाहन चालक	4	3050–4590
2	दफ्तरी	1	2610–3540
3	चीफ कुक	1	2610–3540
4	रसोई सहायक	1	2550–3200
5	मेस/छात्रावास अटेण्डेंट	4	2550–3200
6	कार्यालय चपरासी	9	2550–3200
7	क्लास अटेण्डेंट	1	2550–3200
8	लाइब्रेरी अटेण्डेंट	1	2550–3200
कुल योग		**22**	
तालिका 1+2+3 का कुल योग		**3 + 20 + 22 = 45 पद**	

आज्ञा से
(आर0डी0 पालीवाल)
अपर सचिव

****

संख्या :– xxxvi(1)/2008-563/2008

प्रेषक,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 21 अगस्त, 2008

विषय– उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (UJALA) में अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या– 27/ पी0ए0 / 2008 दिनांक 24.6.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा न्यायिक/ अर्ध न्यायिक प्रकृति/ विधि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं, जिस कारण उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी नैनीताल में अल्प कालिक प्रशिक्षण के द्वारा इन विभागों के कार्मिकों का मार्गदर्शन किया जा सकता है:–

(1) राजस्व विभाग के पटवारी, कानूनगों, नायब तहसीलहार, तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारीगण का राजस्व विधि, चकबन्दी विधि के क्षेत्र में एवं राजस्व पुलिस के अधिकारीगण का दांडिक विधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(2) श्रम विभाग के पीठासीन अधिकारी, अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त का श्रम विधियों, सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि के बारे में प्रशिक्षण।

(3) पुलिस विभाग के निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सर्तकता विभाग के अधिकारी तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारीगण का दाण्डिक विधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(4) राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारीगण का राजस्व विधि, किराया नियंत्रण विधि, आर्म्स एक्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तथा साक्ष्य विधि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(5) मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत चालान एवं कर सम्बन्धी कार्य करने वाले सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारीगण का मोटर यान विधि तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के बार में प्रशिक्षण।

(6) चिकित्सा विभाग, शहरी विकास के खाद्य निरीक्षकों का खाद्य एवं अपमिश्रण अधिनियम के अधीन अभियोजन से सम्बन्धित प्रशिक्षण।

(7) विभिन्न विभागों के अनुशासनिक अधिकारी जैसे विभागाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष मंडलीय एवं क्षेत्रीय अधिकारीगण का सेवा विधि (Service Jurisprudence) के बारे में प्रशिक्षण।

(8) जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा अभियोजन विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन अधिकारी, इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण ले सकते हैं कि राज्य का पक्ष कितने प्रभावपूर्ण ढंग से सिविल/दाण्डिक में न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है।

(9) विभिन्न विभागों में आर्बिटेशन का कार्य करने वाले अभियन्तागण को माध्यस्थ्म (Arbitration) विधि तथा संविदा का प्रारूप तैयार करना (Conveyancing) का प्रशिक्षण।

(10) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प एक्ट के मामलों से सम्बन्धित वादों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(11) आबकारी निरीक्षकों का आबकारी अपराधों की विवेचना/अभियोजन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(12) वन क्षेत्राधिकारी सहायक वन संरक्षण एवं उप वन संरक्षकों का वन अपराधों की विवेचना व अभियोजन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण।

(13) शासन के विधायी एवं संसदीय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का विधायी आलेखन (Legislative Drafting) के बारे में प्रशिक्षण।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त विभागों के कार्मिकों को उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में लगभग एक सप्ताह का अल्प कालिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवहारिकता के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आर0डी0 पालीवाल)
सचिव

संख्या– 205(1)/xxxvi(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव

****

धारा 4 (1)(ख)(ii) (मैनुअल संख्या–2)

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के अधिकारियों और कर्मचारियों का कर्तव्य प्रषिक्षण देना है तथा उन्हें कोई सांविधिक (statutory) शक्तियां नहीं है।

धारा 4 (1)(ख)(iii) (मैनुअल संख्या–3)

विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

अकादमी के लिए शासनादेष सं0 104/xxxvi(1)एक/2008–563/2001 दिनांक 04 अप्रैल, 2008 द्वारा गठित शासी परिषद (Governing Council) द्वारा कृत्यों का विनिष्चय एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। शासनादेश निम्नवत् है :–

****

संख्याः 104 / XXXVI (1)एक / 2008–563 / 2001

प्रेषक,

आर0डी0 पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 04 अप्रैल, 2008

विषय : **<u>उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (UJALA) के शासी परिषद (Governing Council) का गठन।</u>**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 944/UHC/Admin.A Section/2008 दिनांकित 15 / 17 मार्च, 2008 का अवलोकन करने करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक एव विधिक अकादमी (UJALA), भवाली, नैनीताल के बेहतर संचालन, सामान्य नियंत्रण एवं उसमें उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अकादमी के लिए महामहिम राज्यपाल, एक शासी परिषद (Governing Council) का निम्नवत् गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)	मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	मुख्य संरक्षक
(2)	मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के एक मा0 न्यायाधीश जिन्हें मा0 मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य
(3)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	सदस्य
(4)	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(8)	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड	सदस्य
(9)	महानिबन्धक, मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	सदस्य
(10)	एक विद्धतजन, जिन्हें मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा नामित किया जायेगा।	सदस्य
(11)	उत्तराखण्ड बार काउसिंल के नैनीताल स्थित एक सदस्य जिन्हें अध्यक्ष, बार काउंसिल, उत्तराखण्ड द्वारा नामित किया जायेगा।	सदस्य
(12)	निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	सदस्य सचिव

3– उक्त शासी परिषद द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :–

(1) अकादमी के सम्बन्ध में नीतियों का निर्धारण।

(2) पाठ्यक्रम का अनुमोदन, पाठ्यक्रम की अवधि तथा अकादमी द्वारा समय–समय पर संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में अन्य मामलों का निर्धारण।

(3) अकादमी के वार्षिक शैक्षिक कलेण्डर को अनुमोदित करना तथा अकादमी के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी उचित निर्णय हो उन्हें लागू करना।

(4) अकादमी से सम्बन्धित मामलों के सुचारू सम्पादन हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत करना।

(5) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार तथा शासन द्वारा पद सृजित किये, के उपरान्त अकादमी के कार्यों के सुचारू प्रबन्धन हेतु नियमानुसार आवश्यक स्टाफ की तैनाती करवाना।

(6) पुस्तकों, पत्रिका, रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक साहित्य का प्रकाशन तथा इनके विक्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

(7) आय–व्ययक का प्रस्ताव तैयार कर उसे स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना।

(8) अतिथि, स्पीकर्स/विजिटिंग फैकल्टी के पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण।

(9) अकादमी के कार्यों से सम्बन्धित विदेशी विद्वान/अध्येता तथा उनके संगठन से पत्राचार करना।

(10) भारत तथा भारत के बाहर अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि का नामांकन।

(11) निदेशक/सदस्य सचिव के अधिकारों, कार्यों तथा कर्तव्यों का निर्धारण। प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य अधिकारों को अकादमी के अध्यक्ष तथा निदेशक अथवा अन्य अधिकारी जिसे उचित तथा आवश्यक समझा जायें, को प्रतिनिधानित करना।

4:– अकादमी के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां, प्रतिनियुक्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी जिन पर उक्त सेवा के अधिकारी की अपनी सेवा नियमावली की सेवा शर्तें लागू होंगी। अकादमी में नियुक्त किये जाने वाले अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक होंगे।

5– अकादमी के सम्बन्ध में किया गया प्रत्येक कार्य एवं शासी परिषद द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय, उत्तराखण्ड शासन की तत्समय प्रवृत्त कार्मिक तथा प्रशिक्षण–नीति, प्रत्येक सम्बन्धित विषय पर शासन द्वारा जारी विभिन्न नियमावलियों, वित्तीय नियमों, अधीनस्थ विधायन एवं शासनादेशों के अनुकूल ही होगा। शासी परिषद के सदस्यों को पृथक से कोई पारिश्रमिक/मानदेय/सुविधायें देय नहीं होंगी।

6– अकादमी के सुचारू संचालन के लिए शासी परिषद की समय–समय पर बैठकें होंगी, परन्तु दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होगा। मुख्य संरक्षक के पूर्व अनुमोदन से अकादमी के अध्यक्ष/निदेशक शासी परिषद की बैठक बुलायेंगे।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 2NP/वित्त अनुभाग–5/2008 दिनांक 04 अप्रैल, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(आर0डी0 पालीवाल)
सचिव

नोटः– उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 115/XXXVI(1) (एक)/2009–563/2011 दिनांक 17 अप्रैल, 2009 द्वारा उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर 2 के क्रमांक 3 पर उल्लिखित 'अध्यक्ष' के पद का विलोपन कर दिया गया है।

****

धारा 4 (1)(ख)(iv) **(मैनुअल संख्या–4)**

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;

अकादमी द्वारा पृथक से मापमान नहीं बनाये गये हैं, अपितु अकादमी की शासी परिषद एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिषा–निर्देषों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

धारा 4 (1)(ख)(v) **(मैनुअल संख्या–5)**

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

उत्तराखण्ड शासन द्वारा बनायी गयी नियमावली/षासनादेषों के अनुसार कार्यवाही करना। अकादमी के अपने नियम/विनियम नहीं हैं।

धारा 4 (1)(ख)(vi) **(मैनुअल संख्या–6)**

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

अकादमी के नियंत्रण में इसके कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में प्रषासनिक एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अभिलेख हैं जिनका आम आदमी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

धारा 4 (1)(ख)(vii) **(मैनुअल संख्या–7)**

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

जनता के सदस्यों से परामर्श का कार्य अकादमी में सम्पादित नहीं होता है। अकादमी का कार्य विशुद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विधिक बिन्दुओं पर प्रशिक्षण देना है।

धारा 4 (1)(ख)(viii) **(मैनुअल संख्या–8)**

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

अकादमी की शासी परिषद द्वारा समय–समय पर पारित प्रस्तावों के कार्यवृत्त।

धारा 4 (1)(ख)(ix) (मैनुअल संख्या–9)

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका इस प्रकार है :–

S.No.	Name of the officer/official	Telephone Nos.
1.	Sri Vivek Bharti Sharma Director	05942- 221374 (O) 05946-220658 (R)
2.	Sri Ashutosh Kumar Mishra Additional Director	05942- 220666 (R)
3.	Sri Dharmendra Singh Adhikari Additional Director	05942- 220125 (R)
4.	Ms. Chhavi Bansal Joint Director	05942-220657(R)
5.	Smt. Anita Arya Joint Director (Accounts)	7500871530
6.	Office	05942- 221375
7.	Reception	05942- 220656
8.	Sri Govind B. Kapri Administrative Officer	-
9.	Sri Manoj Kumar Pant Librarian	-
10.	Sri Kamlesh Kumar Suyal Accountant	-
11.	Sri Chandra Prakash Driver	-
12.	Sri Harish Ch. Bhatt Driver	-
13.	Sri Trilochan Mishra Driver	-
14.	Sri Umesh Uniyal Peon	-
15.	Sri Manish Ch. Pandey Peon	-
16.	Sri Shailendra K. Sharma Peon	-
17.	Sri Dharmendra S. Koranga Peon	-
18.	Sri Narendra Singh Peon	-
19.	Sri Vinod Singh Peon	-
20.	Sri Dheeraj Kumar Peon	-
21.	Sri Dev Singh Bisht Peon	-
22.	Sri Mazid Ali Peon	-
23.	Sri Harish S. Rawat Peon	-

24.	Sri Rajendra Singh Peon	-
25.	Sri Bhupal Ram Peon	-
26.	Sri Bhuwan Chandra Peon	-

धारा 4 (1)(ख)(x) (मैनुअल संख्या–10)

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

Monthly remuneration received by officers and officials of UJALA establishment as on July 01, 2018.

Sl.No.	Name	Designation	Total emoluments (Rs)
1.	Sri Vivek Bharti Sharm	Director	2,00,593
2.	Sri Ashutosh Kumar Mishra	Additional Director	1,47,116
3.	Sri Dharmendra Singh Adhikari	Additional Director	1,57,074
4.	Ms. Chhavi Bansal	Joint Director	1,27,384
5.	Smt. Anita Arya	Joint Director(Account)	Addl.Charge
6.	Sri Govind B. Kapri	Administrative Officer	52,890
7.	Sri Manoj Kumar Pant	Librarian	48,503
8.	Sri Kamlesh Kumar Suyal	Accountant	49,994
9.	Sri Chandra Prakash	Driver	31,039
10.	Sri Harish Ch. Bhatt	Driver	31,039
11.	Sri Trilochan Mishra	Driver	31,039
12.	Sri Umesh Uniyal	Peon	27,813
13.	Sri Manish Ch. Pandey	Peon	26,913
14.	Sri Shailendra K. Sharma	Peon	26,913
15.	Sri D. S. Koranga	Peon	27,103
16.	Sri Narendra Singh	Peon	26,913
17.	Sri Vinod Singh	Peon	26,913
18.	Sri Dheeraj Kumar	Peon	26,913
19.	Sri Dev Singh Bisht	Peon	28,113
20.	Sri Mazid Ali	Peon	27,813
21.	Sri Harish S. Rawat	Peon	26,913
22.	Sri Rajendra Singh	Peon	26,913
23.	Sri Bhupal Ram	Peon	26,913
24.	Sri Bhuwan Chandra	Peon	26,913

***

धारा 4 (1)(ख)(xi) (मैनुअल संख्या–11)

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

अकादमी को लेखा शीर्षक **Grant No.04-2014-Administration of Justice-00-Non Plan-800-Other Expenses-09- Uttarakhand Judicial & Legal Academy** (UJALA) में दिनांक 01.07.2018 तक वित्तीय वर्ष 2018–2019 में मदवार निम्न धनराशि (बजट) आवंटित की गयी है :–

S. No.	Standard Head	Budget Allotted (Rs)
1.	01-Pay	16,00,00,00
2.	02-Wages	10,000
3.	03-D.A.	50,00,000
4.	04-T.A.	1,00,000
5.	05-T.T.A.	4,00,000
6.	06-O.A.	17,94,000
7.	08- Office expenses	9,00,000
8.	09- Electricity Charge	10,00,000
9.	10-Water Charges/Tax	5,00,000
10.	11-Stationery & Printing of forms	1,000,00
11.	12- Office Furniture & Equipments	1,00,000
12.	13- Telephone Charges	3,00,000
13.	14- Purchase of Staff Car	1,000
14.	15-Maintenance of Staff Car & Purchase of Fuel	8,00,000
15.	16-Commercial and Special Services	47,00,000
16.	18-Publication	1,50,000
17.	25- Patty works	50,000
18.	27-Medical Reimbursement	2,50,000
19.	29- Maintenance	25,000
20.	42-Other Expenses	4,00,000
21.	44-Training Expenses	32,00,000
22.	45-L.T.C.	1,00,000
23.	46- Computer Hardware/Software Purchase	1,00,000
24.	47-Computer maintenance /Stationery Purchase	1,00,000

धारा 4 (1)(ख)(xii) **(मैनुअल संख्या–12)**

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

अकादमी द्वारा सहायिकी कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जाता है।

धारा 4 (1)(ख)(xiii) **(मैनुअल संख्या–13)**

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

अकादमी में केवल प्रशिक्षण कार्य होता है। रियायतों, अनुज्ञा–पत्रों से सम्बन्धित कार्य नहीं होता है।

धारा 4 (1)(ख)(xiv) **(मैनुअल संख्या–14)**

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

अकादमी द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना धारित नहीं की जाती। केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण (Presentations) आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रानिक रूप में रखे जाते हैं।

धारा 4 (1)(ख)(xv) **(मैनुअल संख्या–15)**

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

नागरिकों के लिए अकादमी के स्वागत कक्ष में बैठने की उचित सुविधा है जहां पर सूचना प्राप्त करने के लिए आने वाले नागरिकों की सहायता के लिए एक कर्मचारी उपस्थित रहता है। अकादमी पुस्तकालय केवल प्रशिक्षणार्थियों के प्रयोग के लिए है।

धारा 4 (1)(ख)(xvi) (मैनुअल संख्या–16)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

लोक सूचना अधिकारी का विवरण

नाम व पदनाम	दूरभाष संख्या	पत्राचार का पता
श्री गोविन्द बी. कापड़ी प्रशासनिक अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	05942–221375 (कार्यालय)	लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, पत्रालय– भवाली, जिला–नैनीताल (उत्तराखण्ड) पिन – 263132

धारा 4 (1)(ख)(xvii) (मैनुअल संख्या–17)

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

(1) अकादमी में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए 'उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (कर्मचारियों की सेवा) नियमावली, 2011' उत्तराखण्ड शासन के न्याय विभाग की अधिसूचना संख्या 210/XXXVI(1)/2011-98/2012 देहरादून, 23 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रख्यापित की गई है।

(2) अकादमी में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण–

(क) अकादमी द्वारा कलेण्डर वर्ष, 2017 में निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किए गये :–

UTTARAKHAND JUDICIAL AND LEGAL ACADEMY, BHOWALI, NAINITAL

Training Programmes held in Year 2017 :-

Prog. No.	Programmes	Target Groups	Dates
1.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2014 Batch (2nd phase of Institutional Training) (Including One day Training Programme of Referral Judges for Mediation)	Civil Judges (J.D.) 2014 Batch	18 December, 2016 to 17 April, 2017 (04 Months)
2.	Workshop on Survey Methodology & Procedure for Civil Judges (Sr. Div.& Jr. Div.) (1st phase)	Civil Judges (Sr. Div.& Jr. Div.)	20 & 21 March, 2017 (Monday & Tuesday) (for two days)
3.	Workshop on emerging trends and recent developments in Criminal Laws for CJM's/Judicial Magistrates (1st phase)	CJM's/Judicial Magistrates	27 to 31 March, 2017 (Monday to Friday) (for five days)
4.	Workshop on issues relating to Juvenile Justice under the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 & Rules for Principal Magistrates, Juvenile Justice Boards posted in the various districts of State	Principal Magistrates, Juvenile Justice Boards	27 & 28 April, 2017 (Thursday & Friday) (for two days)

5.	Reflective Training Programme for Civil Judges (Jr. Div.) 2013 Batch	Civil Judges (Jr. Div.) 2013 Batch	16 May to 30 May, 2017 (for fifteen days)
6.	One day Training Programme of Referral Judges for Mediation (1st phase)	Civil Judges (Jr. Div.) 2013 Batch	27 May, 2017 (Saturday) (for one day)
7.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2014 Batch (Including Uttarakhand Darshan Programme) (3rd phase of Institutional Training)	Civil Judges (J.D.) 2014 Batch	04 June, 2017 to 08 September, 2017
8.	Workshop on emerging trends and recent developments in Civil Laws for Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.) (1st phase)	Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.)	03 July to 07 July, 2017 (Monday to Friday) (for five days)
9.	Workshop on emerging trends and recent developments in Criminal Laws for CJM's/Judicial Magistrates (2nd phase)	CJM's/Judicial Magistrates	01 August to 05 August, 2017 (Monday to Friday) (for five days)
10.	Sensitization Workshop on "Animal Protection Laws and Animal Welfare Laws" for officers in the Cadre of CJMs/ACJMs/JMs (Sponsored & Financed by Animal Welfare Board of Uttarakhand, Dehradun) (1st phase)	CJM's/Judicial Magistrates	25 & 26 August, 2017 (Friday & Saturday) (for two days)
11.	40 hrs (five days) Mediation Training Programme for Civil Judges (J.D.) 2014 Batch	Civil Judges (J.D.) 2014 Batch	11 September to 15 September, 2017 (Monday to Friday) (for five days)
12.	Sensitization Workshop on "Animal Protection Laws and Animal Welfare Laws" for officers in the Cadre of CJMs/ACJMs/JMs and Civil Judges (Sr.Div./Jr.Div.) *(Sponsored & Financed by Animal Welfare Board of Uttarakhand, Dehradun)* (2nd phase)	CJM's/Judicial Magistrates and Civil Judges (Sr.Div./Jr.Div.)	15 & 16 September, 2017 (Friday & Saturday) (for two days)
13.	Training Programme on UBUNTU Operating System for Judicial Officers cum Master Trainers	Judicial Officers cum Master Trainers	18 & 19 September, 2017 (Monday & Tuesday) (for two days)
14.	Sensitization Workshop on "Animal Protection Laws and Animal Welfare Laws" " for officers in the Cadre of H.J.S. *(Sponsored & Financed by Animal Welfare Board of Uttarakhand, Dehradun)* (3rd phase)	Officers of H.J.S.	06 & 07 October, 2017 (Friday & Saturday) (for two days)
15.	Workshop on emerging trends in Cyber Law and Electronic Evidence for CJM's/Judicial Magistrates (1st phase)	CJM's/Judicial Magistrates	27 & 28 October, 2017 (Friday & Saturday) (for two days)
16.	Training of Police Sub-Inspector/ Investigating Officers of Kumaon Range Under Section 498 A of IPC *(Sponsored & Financed by Jail Department, Uttarakhand)* (1st Phase)	I.O./Sub Inspector	30 October, 2017 to 04 November, 2017 (Monday to Saturday) (for six days)
17.	Workshop on emerging trends in Cyber Law and Electronic Evidence for CJM's/Judicial Magistrates (2nd phase)	CJM's/Judicial Magistrates	13 & 14 November, 2017 (Monday & Tuesday) (for two days)
18.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2015 Batch (Ist phase of Institutional Training) (Including One day Training Programme of Referral Judges for Mediation)	Civil Judges (J.D.) 2015 Batch	15 November, 2017 to 31 January, 2018 (two and half months) (on going)
19.	Training of Police Sub-Inspector/ Investigating Officers of Kumaon Range Under Section 498 A of IPC *(Sponsored & Financed by Jail Department, Uttarakhand)* (2nd Phase)	I.O./Sub Inspector	20 November, 2017 to 25 November, 2017 (Monday to Saturday) (for six days)

20.	40 hours (5 days) Mediation Training Programmes for the HJS Officers including the District and Sessions Judges & Civil Judges (Sr. Div.) (1st phase) *Conducted by: MCPC, Hon'ble Supreme Court of India.*	HJS Officers & Civil Judges (Sr. Div.)	27 November, 2017 to 01 December, 2017 (Monday to Friday) (for five days)
21.	40 hours (5 days) Mediation Training Programmes for the HJS Officers including the District and Sessions Judges & Civil Judges (Sr. Div.) (2nd phase) *Conducted by: MCPC, Hon'ble Supreme Court of India.*	HJS Officers & Civil Judges (Sr. Div.)	04 December to 08 December, 2017 (Monday to Friday) (for five days)
22.	Sensitization Training Programme for Senior Superintendents/Superintendents/other Senior Officials of Jail Department, Uttarakhand *(Sponsored & Financed by Jail Department, Uttarakhand)*	Senior Jail Officials	18 December to 20 December, 2017 (Monday & Wednesday) (for three days)

****

(ख) अकादमी द्वारा कलेण्डर वर्ष, 2018 के लिए निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गये हैं :–

Training Calendar for the year 2018

Tentative

Prog. No.	Programmes	Duration
1.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2015 Batch (Ist phase of Institutional Training) (Including One day Training Programme of Referral Judges for Mediation)	15 November, 2017 to 31 January, 2018 (two and half months)
2.	Training of Police Sub-Inspector/ Investigating Officers of Garhwal Range Under Section 498 A of IPC (1st Phase)	29 January, 2018 to 03 February, 2018 (Monday to Saturday) (for six days)
3.	Training of Police Sub-Inspector/ Investigating Officers of Garhwal Range Under Section 498 A of IPC (2nd Phase)	19 February, 2018 to 24 February, 2018 (Monday to Saturday) (for six days)
4.	Training Programme on Anti Human Trafficking Laws for the Public Prosecutors Posted in various district of State	05 March, 2018 & 06 March, 2018 (Monday & Tuesday) (for two days)
5.	Training of Police Sub-Inspector/ Investigating Officers of Garhwal Range Under Section 498 A of IPC (3nd Phase)	12 March, 2018 to 17 March, 2018 (Monday to Saturday) (for six days)
6.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2015 Batch (2nd phase of Institutional Training)	01 April, 2018 to 31 July, 2018 (04 Month) (ongoing)
7.	Workshop on emerging trends and recent developments in Civil Laws for Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.) (1st phase)	07 May, 2018 to 11 May, 2018 (Monday to Friday) (for five days)
8.	Training Programme for the Judges of Civil Judge (Jr. Div.) batch 2011 who have been promoted in the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.)	14 May, 2018 to 19 May, 2018 (Monday to Saturday) (for six days)
9.	Workshop of ADMs/SDMs on Role of Executive Magistrates in the Criminal Justice Administration under CrPC	25 May, 2018 & 26 May, 2018 (Friday & Saturday) (for two days)
10.	Foundation Training Programme for Direct Recruit & Promoted Judges to the Higher Judicial Service (HJS) Cadre of the state of Uttarakhand (1st Phase)	01 July, 2018 to 15 July, 2018 (ongoing)
11.	One Day Awareness Programmes of MCPC by Potential Trained Trainer, Sh. Chandra Mohan Barthwal, (Advocate, Kotdwar, District Garhwal) (1st Phase)	07 July, 2018 (Saturday)
12.	One Day Awareness Programmes of MCPC by Potential Trained Trainer, Sh. Chandra Mohan Barthwal, (Advocate, Kotdwar, District Garhwal) (2nd Phase)	08 July, 2018 (Sunday)

13.	One Day Awareness Programmes of MCPC by Potential Trained Trainer, Sh. Chandra Mohan Barthwal, (Advocate, Kotdwar, District Garhwal) (3rd Phase)	09 July, 2018 (Monday)
14.	Foundation Training Programme for Direct Recruit & Promoted Judges to the Higher Judicial Service (HJS) Cadre of the state of Uttarakhand (2nd Phase)	16 July, 2018 to 30 July, 2018
15.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2016 Batch (Ist phase of Institutional Training) (Including One day Training Programme of Referral Judges for Mediation)	(two and half months)
16.	40 hrs (five days) Mediation Training Programme for Mediators Advocates (Subject to approval by MCPC, Hon'ble Supreme Court of India)	(Monday to Friday) (for five days)
17.	Workshop of Presiding Officers and Members of Permanent Lok Adalat (Subject to Sponsorship and Funding by UKSLSA)	14 July, 2018 & 15 July, 2018 (2nd Saturday & Sunday) (for two days)
18.	Workshop on Addressing Issues of Core Competence/ Towards Excellence in Qualitative & Quantitative Justice (2nd phase)	23 July, 2018 to 27 July, 2018 (Monday to Friday) (for five days)
19.	Training For District Government Counsels /Additional/Assistant District Government Counsels (Civil) (Subject to Sponsorship and Funding by the Department concerned)	30 July, 2018 & 31 July, 2018 (Monday & Tuesday) (for two days)
20.	Training for Ministerial Staff of Subordinate Courts for Districts Nainital (5th phase)	August, 2018
21.	Three days (20 Hours) Refresher Training Programme for MCPC Trained Mediators (1st Phase)	01 August, 2018 to 03 August, 2018
22.	Workshop of Deputy Collectors, Additional Collectors on Role of Executive Magistrates in the Civil Justice Administration under the Revenue Laws	06 August & 07 August, 2018 (Monday & Tuesday) (for two days)
23.	Three days (20 Hours) Refresher Training Programme for MCPC Trained Mediators (2nd Phase)	06 August, 2018 to 08 August, 2018
24.	Training Programme on 'Modified Claims Tribunals Agreed Procedure' for Presiding Officers of the MACTs and all SP/SSP of the State (Sponsored and financed by UKSLSA)	17 August, 2018 (Friday) (for one day)
25.	Training Programme on 'Modified Claims Tribunals Agreed Procedure' for Presiding Officers of the MACTs and all SP/SSP of the State (Sponsored and financed by UKSLSA)	24 August, 2018 (Friday) (for one day)
26.	Three days (20 Hours) Refresher Training Programme for MCPC Trained Mediators (3rd Phase)	27 August, 2018 to 29 August, 2018
27.	Workshop on emerging trends and recent developments in Criminal Laws for CJM's/ACJM's/Judicial Magistrates (2nd phase)	27 August to 31 August, 2018 (Monday to Friday) (for five days)
28.	Training Programme on 'Modified Claims Tribunals Agreed Procedure' for Presiding Officers of the MACTs and all SP/SSP of the State (Sponsored and financed by UKSLSA)	31 August, 2018 (Friday) (for one day)
29.	New Legislation and Procurement Rules for District Judges and Drawing & Disbursing Officers (D.D.O.'s)	------
30.	Training for Ministerial Staff of Subordinate Courts for Districts U. S. Nagar (6th phase)	September, 2018
31.	Reflective Training Programme for Civil Judges (Jr. Div.) 2014 Batch	04 September, 2018 to 19 September,2018 (for fifteen days)
32.	Training For Prosecuting Officers (Subject to fund provisions made from the Department concerned) (1st phase)	10 & 11 September, 2018 (Monday & Tuesday) (for two days)

33.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2015 Batch (3rd phase of Institutional Training) (Including One day Training Programme of Referral Judges for Mediation)	15 September, 2018 to 21 December, 2018 (Including Uttarakhand Darshan Programme of about 21 days)
34.	Special Training Programme for DLSA Secretaries (full fledged) Sponsored by U.K.S.L.S.A (Subject to Sponsorship and Funding by UKSLSA)	01 October, 2018 (Monday) (for one day)
35.	Training for Ministerial Staff of Subordinate Courts for Districts Pauri Garhwal, Rudraprayag, Tehri Garhwal, and Uttarkashi (7th phase)	October, 2018
36.	Joint Workshop of CJM's/ACJM's/Judicial Magistrates and Forest Officers of the Rank of DFOs on Forest & Wild Life Laws	08 October & 09 October, 2018 (Monday & Tuesday) (for two days)
37.	40 hrs (five days) Mediation Training Programme for Civil Judges (Sr.Div. & Jr.Div) (1st phase) (Subject to approval by MCPC, Hon'ble Supreme Court of India)	08 October to 12 October, 2018 (Monday to Friday) (for five days)
38.	Workshop on Recent Developments on Rent Laws for Civil Judges (Sr.Div. & Jr.Div)	25 October & 27 October, 2018 (Thursday & Friday) (for two days)
39.	One day Training Programme of Referral Judges for Mediation	27 October, 2018 (Saturday) (for one day)
40.	Sensitization Workshop on 'Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994' for CJM's/ACJM's/Judicial Magistrates (2nd Phase)	29 October, 2018 & 30 October, 2018 (Monday & Tuesday) (for two days)
41.	Sensitization Workshop on Animal Welfare Laws for Executive Officers, Urban Bodies/Corporations/ Municipalities of Uttarakhand (Sponsored by Uttarakhand Animal Welfare Board, Dehradun)	13 November to 14 November, 2018 (Tuesday & Wednesday) (for two days)
42.	Workshop on Important Issues in Administration of Civil Justice for District and Sessions Judges	17 November, 2018 (Saturday) (for one day)
43.	Workshop of Secretaries/ Addl. Secretaries Govt. of Uttarakhand on Administrative Laws	19 November, 2018 Monday (for one day)
44.	Foundation Training Programme for Newly Recruited Civil Judges (J.D.) 2016 Batch (2nd phase of Institutional Training)	(04 Months)
45.	Workshop on emerging trends and recent developments in Civil Laws for Civil Judges (Sr. Div. & Jr. Div.) (3rd phase)	26 November to 30 November, 2018 (Monday to Friday) (for five days)
46.	Workshop on emerging trends and recent developments in Criminal Laws for CJM's/ACJM's/Judicial Magistrates (3rd phase)	03 December to 07 December, 2018 (Monday to Friday) (for five days)
47.	40 hrs (five days) Mediation Training Programme for Civil Judges (Sr.Div. & Jr.Div) (2nd phase) (Subject to approval by MCPC, Hon'ble Supreme Court of India)	10 December to 14 December, 2018 (Monday to Friday) (for five days)
48.	Workshop on Addressing Issues of Core Competence/ Towards Excellence in Qualitative & Quantitative Justice (3rd phase)	17 December, 2018 to 21 December, 2018 (Monday to Friday) (for five days)

****